



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23.05.17	<p>पत्राकली राजस्व लोक अदालत शिविर आसन में पेश हुई। जर्जी उप0। पेंरोकार सरकार उपास्थित। जर्जी ने स्पष्ट किया कि उक्त खसरा नम्बर - 36, 38, 39, 42 इसके द्वारा बेचान कर दिया गया है। पेंरोकार सरकार ने जर्जी के नाम पर भूमि नहीं होने के पत्थरगरी किया जाना प्रसंगिक बताया। दोनों पक्षों का गहनता से सुना जाकर यह निर्णय लिया गया कि चूंकि उक्त खसरा नम्बर 36, 38, 39 एवं 42 जिस पर पत्थरगरी हेतु जर्जी द्वारा आवेदन/अर्चना की जर्जी की अन्ध आस्था को बेचान किया जा चुका है। वर्तमान में जर्जी का इस पर अधिकार न होने के पत्थरगरी हेतु इच्छुक नहीं है। सरकार पेंरोकार द्वारा प्रस्तुत बाक्य में स्पष्ट है कि नामांकित 200 डि० अंश 16 के अन्ध खसरा नम्बर पर अन्ध आस्था की वजह से खरीददार अधिकार है। अतः प्रकरण निरस्त किया जाकर न्यायालय के नम्बर से कत किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">  (डॉ. दिनशरय शर्मा) न्यायाधीश एवं सहायक न्यायाधीश टोंक, अजमेर </p>	<p>अ0 नि० ज० क० डी० अ० न०</p>  <p>अ० नि० नैनाप्रथ</p> 